फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री माधवलाल **विपक्षी : श्री अमरा**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 37/18**

जीसीएमएस : 2018/00011

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 17.12.2024 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा अपनी बहस में उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अधिवक्ता उभय पक्षकारान ही एक दूसरे के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करने बाबत् उभय पक्षकारान को पाबंद करने हेतु सहमत हैं। अतः अधिवक्ता उभय पक्षकारान की आपसी सहमति के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र व विपक्षीगण का काउन्टर प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य पाये जाते हैं। **–: <u>आदेश</u> :–** परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एवं विपक्षीगण का काउन्टर प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक उभय पक्षकारान के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा लदाना पटवार हल्का वासनीकलां की आराजी नम्बर 521 किता 1 रकबा 17 बिस्वा भूमि में उभय पक्षकारान एक दूसरे के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करे। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। **(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)** **सहायक कलक्टर** **(FT) मावली** Signature Not Verified Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia Date: 2025.01.31 12:34:38 IST Reason: SelfAttested	